

mail


मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/उपविधि/संशो./1534
आदेश

भोपाल दिनांक 28/06/2022

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1454 दिनांक 16.06.2022 से मण्डी समितियों के लिये लागू उपविधि सन 2000 की कंडिका 18(6) के पश्चात कंडिका 18(6)(अ) को दिनांक 01.07.2022 से स्थापित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त आदेश दिनांक 16.06.2022 के क्रियान्वयन को अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये स्थगित किया जाता है।



(विकास नरवाल)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/उपविधि/संशो./1535
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 28/06/2022

1. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. संयुक्त/उप संचालक म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - (समस्त) की ओर पालनार्थ संप्रेषित है।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति-(समस्त) की ओर पालनार्थ संप्रेषित है।
4. आईटी सेल। वेबसाइट पर अपलोड करावे।
5. प्रांगण/निर्माण/वित्त/एमआईएस शाखा/गार्ड फाइल।


आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल